बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या–01 / स्था०क्षे०–514 / 2025– पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

का र्या ल य आ दे श

विशेष ईख पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–167 दिनांक–30.09.2026 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर श्री हरेश कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय–विशेष ईख पदाधिकारी, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के गाँव में बाढ़ आने के कारण दिनांक–07.09.2026 से 27.09.2026 तक कुल–21 (इक्कीस) दिनों के अनुपस्थिति अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के आलोक में पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके पश्चात् श्री कुमार के जिम्मे 279 दिनों का उपार्जित अवकाश संचित रहेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(नवनीत कुमार दूबे)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०क्षे०–514 / 2025– पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०क्षे०–514 / 2025– पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि :–ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / विशेष ईख पदाधिकारी, पटना / श्री हरेश कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय–विशेष ईख पदाधिकारी, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०क्षे०–514 / 2025– 1992 पटना, दिनांक 13 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि :–आई.टी. प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.26
अवर सचिव।